

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : सीबी/एनएस/एफ-2114/2017/


दिनांक :

आदेश

श्रीमती सुन्दरी वैष्णव, सुश्री इन्दिरा माईडा, सुश्री सुकली गरासिया एवं श्रीमती सुन्नी एम.टी. नर्स-2, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, बांसवाडा के विरुद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित होने परिणामस्वरूप मेरी रॉय में इन्हें राज्यसेवा से निलम्बित किया जाना आवश्यक है।

अतः राजस्थान असैनिक सेवाये (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम - 1958 के नियम 13 - (1) में उल्लेखित प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती सुन्दरी वैष्णव, सुश्री इन्दिरा माईडा, सुश्री सुकली गरासिया एवं श्रीमती सुन्नी एम.टी. नर्स-2, को निलम्बित किया जाता है।

निलम्बनकाल में इनका मुख्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-उदयपुर के कार्यालय में रहेगा तथा इन्हें निलम्बनकाल में नियमानुसार वेतन का 50 प्रतिशत निर्वाह भत्ता देय होगा।

  
(डॉ.बी.एल.सैनी)


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज.,जयपुर

दिनांक : 04/09/17

क्रमांक : सीबी/एनएस/एफ-2114/2017/1953

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि निलम्बित कार्मिकाओं द्वारा आपके कार्यालय में मुख्यालय पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से अवगत करावे एवं यह भी सुनिश्चित कर ले कि वे आपकी पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोड़े तथा निलम्बित रूप से उपस्थिति अंकित करें।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिकाओं के विरुद्ध प्रकरण की प्राथमिक जांच कर जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर कार्मिकाओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने बाबत प्रारूप-आरोप पत्रादि, परिशिष्ट अ,ब,स,द तत्संबंधित अभिलेख निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. प्रशासनिक अधिकारी, नर्सिंग/डीपीसी अनुभाग, मुख्यालय।
8. श्रीमती सुन्दरी वैष्णव, सुश्री इन्दिरा माईडा, सुश्री सुकली गरासिया एवं श्रीमती सुन्नी एम.टी., नर्स - 2 (निलम्बित) द्वारा क्रम संख्या 6 के।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
(डॉ.बी.एल.सैनी)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज.,जयपुर